

प्रेस नोट दिनांक 15.12.2025

थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत थाना बाघराय पुलिस द्वारा 01 किलो 120 ग्राम अवैध गांजा व 01 अदद रिवाल्वर .32 बोर व 01 अदद .12 बोर दो नाली बंदूक व 10 अदद .32 बोर जिन्दा कारतूस के व 14 अदद .12 बोर जिन्दा कारतूस के साथ 01 अभियुक्त रामनारायण मिश्रा को किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्त को थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त का मकान ग्राम जमलामऊ के पास से गिरफ्तार किया गया-

अभियुक्त रामनारायण मिश्रा के विरुद्ध जनपद प्रतापगढ़ के थाना बाघराय में हत्या, लूट, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर एक्ट, गुण्डा एक्ट, धोखाधड़ी, SC/ST Act, Arms Act, जैसे कुल 20 अभियोग पंजीकृत हैं।

जनपद प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में “ऑपरेशन प्रहार” प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त तत्वों के विरुद्ध सतत एवं कठोर कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमति करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी बाघराय श्री श्रवण कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 अमित द्विवेदी मय हमराह उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव, उ0नि0 देवेन्द्र कुमार पाठक, का0 अंशू प्रजापति द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त का मकान ग्राम जमलामऊ के पास से 01 अभियुक्त रामनारायण मिश्रा उर्फ जुग्गी पुत्र श्याम नारायण मिश्रा निवासी ग्राम जमलामऊ थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ उम्र लगभग 50 वर्ष के कब्जे से 01 किलो 120 ग्राम अवैध गांजा व 01 अदद रिवाल्वर .32 बोर व 01 अदद .12 बोर दो नाली बंदूक व 10 अदद .32 बोर जिन्दा कारतूस के व 14 अदद .12 बोर जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से 01 किलो 120 ग्राम अवैध गांजा व 01 अदद रिवाल्वर .32 बोर व 01 अदद .12 बोर दो नाली बंदूक व 10 अदद .32 बोर जिन्दा कारतूस के व 14 अदद .12 बोर जिन्दा कारतूस की बरामदगी के संबंध में थाना बाघराय में मु0अ0सं0 279/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व 3/25/30 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि रिवाल्वर 32 बोर व दो नाली 12 बोर बन्दूक लाइसेन्सी है, दोनो असलहा के लाइसेन्स धारक अभिषेक तिवारी पुत्र नरसिंह नारायण तिवारी निवासी निराला नगर थाना हसनगंज लखनऊ है जो मेरे रिश्तेदार हैं। अभियुक्त से गांजा बरामदगी के संबंध में टाल मटोल करते हुए प्रयागराज से लाना बता रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. रामनारायण मिश्रा उर्फ जुग्गी पुत्र श्याम नारायण मिश्रा निवासी ग्राम जमलामऊ थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ उम्र लगभग 50 वर्ष ।

गिरफ्तार अभियुक्त रामनारायण मिश्रा उर्फ जुग्गी पुत्र श्याम नारायण मिश्रा निवासी ग्राम जमलामऊ थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ उम्र लगभग 50 वर्ष का अपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 265/97, धारा 147/148/149/307/504/506 IPC, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।
02. मु0अ0सं0 104/2000, धारा 147/148/149/307/325/323/504/506 IPC, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।
03. मु0अ0सं0 133/01, धारा 3(1) उ0प्र0 गुंडा एक्ट, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।
04. मु0अ0सं0 41/03, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।
05. मु0अ0सं0 34/03, धारा 147/148/149/307/353/332/504/506 IPC व 7 CLA Act, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।
06. मु0अ0सं0 28/05, धारा 323/504/506/352/325 IPC, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।
07. NCR No. 77/06, धारा 504/506 IPC, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।
08. NCR No. 11/07, धारा 323/504/506 IPC, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।
09. मु0अ0सं0 15/07, धारा 110-G CRPC, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।
10. मु0अ0सं0 69/07, धारा 3(1) उ0प्र0 गुंडा एक्ट, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।
11. मु0अ0सं0 151/08, धारा 147/148/149/452/427/506 IPC, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।
12. मु0अ0सं0 169/08, धारा 419/420/504/506 IPC, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।
13. मु0अ0सं0 165/08, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।
14. मु0अ0सं0 108/09, धारा 110-G CRPC, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।
15. मु0अ0सं0 238/11, धारा 302 IPC व 3(2)5 SC/ST Act, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।
16. मु0अ0सं0 04/14, धारा 302/504/506/436/341 IPC, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।
17. मु0अ0सं0 17/14, धारा 25 Arms Act, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।
18. मु0अ0सं0 125/14, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।
19. मु0अ0सं0 70/16, धारा 3(1) उ0प्र0 गुंडा एक्ट, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।

20. मु0अ0सं0 358/20, धारा 323/308/341/392/504/506 IPC व 3(1) द, ध व 3(2)(va) व 3(2)v SC/ST Act, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी- 01 किलो 120 ग्राम अवैध गांजा व 01 अदद रिवाल्वर .32 बोर व 01 अदद .12 बोर दो नाली बंदूक व 10 अदद .32 बोर जिन्दा कारतूस के व 14 अदद .12 बोर जिन्दा कारतूस बरामद ।

पुलिस टीम का विवरण-

0नि0 अमित द्विवेदी मय हमराह उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव, उ0नि0 देवेन्द्र कुमार पाठक, का0 अंशू प्रजापति थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़ ।

बयान-

जनपद प्रतापगढ़ में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री एवं प्रसार की रोकथाम हेतु प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा निरंतर विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनपद को नशामुक्त वातावरण प्रदान करना तथा समाज, विशेषकर युवाओं, को इस गंभीर बुराई से सुरक्षित रखना है।

आमजन से अपील है कि यदि कहीं भी अवैध रूप से मादक पदार्थों का निर्माण, क्रय-विक्रय या तस्करी होती दिखाई दे, तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबर — 6307363107 पर दें। आपकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।

थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना मान्धाता पुलिस द्वारा 01 अदद तमंचा देशी नाजायज 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ 01 अभियुक्त शिवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ अतुल सिंह को किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्तों को थाना मान्धाता क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पीपरपुर डेमा स्थित बकुलाही नदी पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी मान्धाता अरविन्द कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना मान्धाता के उ0नि0 प्रभात वर्मा मय हमराह उ0नि0 अनूप यादव व हे0का0 अंजनी कुमार, का0 अंकित

कुमार द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान थाना मान्धाता क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पीपरपुर डेमा स्थित बकुलाही नदी पुलिया के पास से 01 अभियुक्त शिवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ अतुल सिंह पुत्र हरिहर सिंह निवासी ग्राम डेमा थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष को कब्जे से 01 अदद तमंचा देशी नाजायज 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 अदद मोटर साइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के पास से 01 अदद तमंचा देशी नाजायज 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामदगी के संबंध में थाना मान्धाता में मु0अ0सं0 - 180/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है। बरामद 01 अदद मोटर साइकिल को धारा 207 एमवीएक्ट में सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01- शिवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ अतुल सिंह पुत्र हरिहर सिंह निवासी ग्राम डेमा थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष।

बरामदगी- 01 अदद तमंचा देशी नाजायज 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 अदद मोटर साइकिल बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 प्रभात वर्मा मय हमराह उ0नि0 अनूप यादव व हे0का0 अंजनी कुमार, का0 अंकित कुमार थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़।

थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना बाघराय पुलिस द्वारा आत्महत्या के लिये उकसाने, के प्रकरण में 01 वांछित अभियुक्त प्रतीक शुक्ला उर्फ अनुज शुक्ला को किया गया गिरफ्तार-

थाना बाघराय पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्र के छेवंगा नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी निवासी ग्राम उमरी कोटिला, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़ की तहरीर के आधार पर वादी की बहन ने दिनांक 30.09.2025 को घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मोबाइल से प्राप्त वीडियो व साक्ष्यों से आरोपी द्वारा विवाह का झांसा देकर धन लेना, बाद में विवाह से इंकार करना, धमकी देना व मानसिक उत्पीड़न करना प्रकाश में आया, जिससे क्षुब्ध होकर मृतका द्वारा आत्महत्या किये जाने के संबंध में थाना

बाघराय में मु0अ0सं0 211/25 धारा 108/316 (2)/352/351 (3) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी बाघराय श्री श्रवण कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव मय हमराह का0 सचिन ठेनुआ द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वारण्टी, वांछित अभियुक्त की दबिश के दौरान मु0अ0सं0 211/25 धारा 108/316 (2) 1352/351 (3) बीएनएस थाना बाघराय, प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त 1. प्रतीक शुक्ला उर्फ अनुज शुक्ला पुत्र रामकृष्ण शुक्ला पूरे डीह थाना हथिगवाँ जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष को थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत छेवंगा नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. प्रतीक शुक्ला उर्फ अनुज शुक्ला पुत्र रामकृष्ण शुक्ला पूरे डीह थाना हथिगवाँ जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव मय हमराह का0 सचिन ठेनुआ थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा 1 किग्रा 465 ग्राम अवैध गांजा मय उपकरण व गांजा बिक्री का 47280 रु० व 01 अदद मोटरसाइकिल के साथ 01 अभियुक्त अनिल मिश्रा उर्फ तावडे को किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्त को थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत जायसवाल तिराहा घुइसर नाथ से पूरे गंगू की तरफ जाने वाले रास्ते पर लक्ष्मणपुर गांव के पास से गिरफ्तार किया गया-

जनपद प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में “ऑपरेशन प्रहार” प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त तत्वों के विरुद्ध सतत एवं कठोर कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी सांगीपुर श्री राजेन्द्र त्रिपाठी के नेतृत्व में थाना सांगीपुर के उ0नि0 विनय प्रताप सिंह मय हमराह का नरेश कुमार व का० दिनेश कुमार व हस्बुल तलब उ0नि0 इन्देश कुमार व का० योगेश कुमार द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत जायसवाल तिराहा घुइसर नाथ से पूरे गंगू की तरफ जाने वाले रास्ते पर लक्ष्मणपुर गांव के पास से 01 अभियुक्त अनिल मिश्रा उर्फ तावडे पुत्र रामराज मिश्रा निवासी ग्राम सरपतहा मिश्रपुर(तारापुर) थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष के कब्जे से 1 किग्रा 465 ग्राम अवैध गांजा व गांजा बिक्री का 47280 रु० व 01 अदद मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से 1 किग्रा 465 ग्राम अवैध गांजा मय उपकरण व गांजा बिक्री का 47280 रु० व 01 अदद मोटर साइकिल की बरामदगी के संबंध में थाना सांगीपुर में मु०अ०सं० 234/2025 धारा 8/20 NDPS ACT का अभियोग पंजीकृत किया गया है। बरामद 01 अदद मोटरसाइकिल को धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि इस पुड़िया व पन्नी के अन्दर गांजा है तथा यह इसी में गांजा की दो-तीन दिन की बिक्री के रुपये है। बरामद रुपये को मौके पर उसी के समक्ष गिना गया कुल 47280 रु० बरामद हुए। बैग को खोलकर देखा गया तो बैग के अन्दर वजन करने वाली डिजिटल मशीन व एक अदद स्टील की कटोरी बरामद हुआ। जिसके बारे में पूछा गया तो बताया कि मैं इसी मशीन व कटोरी से गांजा तौलकर बेचता हूँ। बगल में खड़ी हुई टीवीएस स्पोर्ट मोटरसाइकिल के बारे में पूछताछ किया गया तो उसके द्वारा बताया गया कि यह मोटरसाइकिल हमारी ही है और इसी से मैं जगह-जगह पर जाकर अपने गांजे की बिक्री करता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. अनिल मिश्रा उर्फ तावडे पुत्र रामराज मिश्रा निवासी ग्राम सरपतहा मिश्रपुर(तारापुर) थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त अनिल मिश्रा उर्फ तावडे पुत्र रामराज मिश्रा निवासी ग्राम सरपतहा मिश्रपुर(तारापुर) थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष का अपराधिक इतिहास-

01. मु०अ०सं० 55/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

02. मु०अ०सं० 234/2025 धारा 8/20 NDPS ACT थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी- 1 किग्रा 465 ग्राम अवैध गांजा मय उपकरण व गांजा बिक्री का 47280 रु० व 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

उ०नि० विनय प्रताप सिंह मय हमराह का नरेश कुमार व का० दिनेश कुमार व हस्बुल तलब उ०नि० इन्देश कुमार व का० योगेश कुमार थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्त राजकुमार यादव व दिलशाद उल्ला उर्फ तुसान खान को किया गया गिरफ्तार।

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियुक्तों को थाना क्षेत्रान्तर्गत पूरे ईश्वरनाथ पुल के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों के कब्जे से 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद कर अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी मो० हुसैन पुत्र मो० गुलशव, निवासी सगरा सिटी रोड, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ की दुकान क्लासिक जनरल स्टोर, सिविल लाइन, के पास स्थित है। दिनांक 12.12.2025 को दो व्यक्ति मोटरसाइकिल से दुकान पर आए और परफ्यूम लेने के दौरान विवाद कर गाली-गलौज करते हुए धमकी देकर चले गए। कुछ समय बाद लगभग 2:00 बजे दिन में चार मोटरसाइकिलों से आए 8-9 अज्ञात व्यक्ति, अवैध असलह से लैस होकर दुकान पर पहुंचे और वादी को जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। इस संबंध में थाना कोतवाली नगर मु०अ०सं० 649/25 धारा 191(2)/191(3)/109(1) BNS व 7 सीएलए एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक / क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री सुभाष कुमार यादव के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर के उ०नि० अनुपम त्रिपाठी मय हमराह हे०का० नासिर कमाल द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु०अ०सं० 649/25 धारा 191(2)/191(3)/109(1) BNS व 7 सीएलए एक्ट से संबंधित 02 अभियुक्त, 01. राजकुमार यादव पुत्र लाल प्रताप यादव निवासी रुदापुर महुआर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 23 वर्ष, 02. दिलशाद उल्ला उर्फ तुसान खान पुत्र अब्दुल हादी निवासी महुआर थाना कोतवाली नगर

जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 22 वर्ष, को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत पूरे ईश्वरनाथ पुल के पास से 01 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. राजकुमार यादव पुत्र लाल प्रताप यादव निवासी रुदापुर महुआर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ उम्र 23 वर्ष
2. दिलशाद उल्ला उर्फ तुसान खान पुत्र अब्दुल हादी निवासी महुआर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी-

01 अदद मोटरसाइकिल

पुलिस टीम-

उ0नि0 अनुपम त्रिपाठी मय हमराह हे0का0 नासिर कमाल थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ।